

[2025] 1 एस.सी.आर. 105: 2025, आईएनएससी 20

उर्मिला दीक्षित

विरुद्ध

सुनील शरण दीक्षित एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 10927/2024)

02 जनवरी 2025

[न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल]

विचारणीय बिंदु

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता माता को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 का लाभ प्रदान करने के अधिकरण के आदेश को अपास्त करना सही था।

शीर्ष टिप्पणियां

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण अमान्य होगा - अपीलकर्ता-मां ने अपनी संपत्ति प्रतिवादी-पुत्र को अंतरित करने वाले दान विलेख को इस शर्त पर रद्द करने की मांग की कि वह उसके भरण-पोषण का प्रावधान करे - अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि वचन पत्र और दान विलेख में उसके भरण-पोषण के संबंध में दी गई शर्तें पूरी तरह से पूरी नहीं की गईं और दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों में दरार आ गई - यदि संबंधित दान विलेख को रद्द कर दिया जाना चाहिए:

निर्णय: हां सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी एवं अन्य [2022] 17 एस.सी.आर 876, ने धारा 23(1) के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिए दो शर्तों की व्याख्या की, (क) अंतरण इस शर्त के अधीन किया जाना चाहिए कि अन्तरिति अंतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा; और (ख) अन्तरिति अंतरणकर्ता को ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या विफल रहता है वर्तमान मामले में, वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और नीचे के अधिकरणों ने सही रूप से दान विलेख को रद्द करने का निर्णय लिया खंडपीठ का दृष्टिकोण जिसने एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया और एक लाभकारी कानून के बारे में सख्त दृष्टिकोण अपनाया, खारिज किए गए फैसले से सहमत नहीं - दान विलेख रद्द कर दिया गया परिसर का कब्जा अपीलकर्ता को बहाल किया जाए [पैरा 21, 23, 26]

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007- की धारा 23 - अधिकरण का क्षेत्राधिकार- क्या वह संपत्ति से बेदखली और कब्जे के अंतरण का आदेश दे सकता है - आरोपित आदेश में कहा गया है कि धारा 23 अधिनियम का एक स्वतंत्र प्रावधान है और अधिकरण का क्षेत्राधिकार केवल यह पता लगाना है कि क्या दान विलेख या अन्य किसी शर्त में बुनियादी सुविधाओं के लिए कोई खंड शामिल है और क्या हस्तांतरिती ने उन्हें प्रदान करने से इनकार कर दिया है या विफल रहा है और अधिकरण के पास कोई अन्य क्षेत्राधिकार नहीं है।

अवधारित: यदि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है- तो अधिनियम के तहत अधिकरण बेदखली का आदेश दे सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत गठित अधिकरण, धारा 23 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, कब्जे को स्थानांतरित करने का आदेश नहीं दे सकते। इससे वृद्धों के लिए त्वरित, सरल और सस्ता उपचार प्रदान करने के अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को पराजित किया जाएगा। धारा 23 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध राहत आंतरिक रूप से अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से जुड़ी हुई है, कि देश के वरिष्ठ नागरिकों की, कुछ मामलों में, देखभाल नहीं की जा रही है - यह सीधे अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों को तुरंत सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाता है जब वे हस्तांतरित व्यक्ति द्वारा रखरखाव की शर्त के अधीन एक संपत्ति स्थानांतरित करते हैं। [पैरा 24, 25]

विधियों की निर्वचन - माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 - लाभकारी विधान - विधि के निर्वचन पर विचार किया गया।

निर्णय विधि उद्धृत

ब्रह्मपाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी [2020] 9 एस.सी.आर 504: (2021) 6 एस.सी.सी 512; के.एच. नज़र बनाम मैथ्यू के जैकब [2019] 14 एस.सी.आर 928: (2020) 14 एससीसी 126; कोज़ीफ़्लेक्स मैट्रेस (पी) लिमिटेड बनाम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2024) 7 एस.सी.सी 140; X2 बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी) [2022] 7 एस.सी.आर 686: (2023) 9 एससीसी 433; एस. वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट और अन्य [2020] 12 एस.सी.आर 1057 (2021) 15 एस.सी.सी 730; विजया मनोहर अर्बत डॉ बनाम काशीराव राजाराम सवाई और अन्य [1987] 2 एस.सी.आर 331: (1987) 2 एस.सी.सी 278; बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य। [2013] 10 एस.सी.आर 259: (2014) 1 एस.सी.सी 188; अश्वनी कुमार बनाम भारत संघ [2019] 12 एस.सी.आर 30 (2019) 2 एस.सी.सी 636; सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी एवं अन्य। [2022] 17 एस.सी.आर 876: 2022 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 1684 - पर भरोसा किया गया।

रजनेश बनाम नेहा और अन्य [2020] 13 एस.सी.आर 1093: (2021) 2 एस.सी.सी 324-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007।

कीवर्ड की सूची

दान-विलेख; दान विलेख को निरस्त करना; संपत्ति का हस्तांतरण; शून्य; शर्त के अधीन; भरण-पोषण; वचन पत्र; शांतिपूर्ण संबंधों का टूटना; दान विलेख रद्द; हस्तांतरिती; हस्तांतरक; दाता; दान प्राप्तकर्ता; बुनियादी सुविधाएं; बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं; वरिष्ठ नागरिक; लाभकारी कानून; उदार अर्थान्वयन; सख्त दृष्टिकोण; अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का विवरण; विधायिका का प्रयोजन; वृद्ध नागरिक; बेदखली; परिसर/संपत्ति का कब्जा।

से उदभूत हुआ मामला

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10927/2024

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के मुख्य पीठ द्वारा WA क्रमांक 1085/2022
दिनांक 31.10.2022 के निर्णय एवं आदेश से,

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वम रितम खरे, सुश्री जयश्री नरसिम्हन, सुश्री वृन्दा कपूर, आकाश शुक्ला, सुश्री भाव्या पांडे, गोकुल अथित्या, कुशाग्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

श्रीमती माधवी दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, उदय प्रकाश, नकुल देव, सुश्री हर्षिता, एस के गिरी, रामजी पांडे, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए.

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायमूर्ति

निर्णय

न्यायमूर्ति संजय करोल

1. वर्तमान अपील, रिट अपील संख्या 1085/2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 31.10.2022 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या 11796/2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 02.08.2022 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया था।

2. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा पारित दिनांक 25.04.2022 के निर्णय की पुष्टि की थी। प्रकरण संख्या 91/अपील/2021-22 और उप-खंड मजिस्ट्रेट और अध्यक्ष, छतरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 98/बी-121/2021-22 में पारित दिनांक 27.09.2021 का निर्णय, जिसमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (इसके बाद एक्ट) की धारा 23 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 09.09.2019 के दान विलेख को निरस्त करने की मांग की गई थी।

तथ्यात्मक विवरण

3. यहाँ अपीलकर्ता प्रतिवादी (पुत्र) की माँ है। विषय संपत्ति उसके द्वारा 23.01.1968 को खरीदी गई थी। 07.09.2019 को, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के पक्ष में एक दान विलेख निष्पादित किया, जिसमें यह कहा गया है कि ग्रहीता (प्रतिवादी) दाता का भरण-पोषण करता है और हर चीज का प्रावधान करता है। यह विलेख 09.09.2019 को पंजीकृत हुआ। कथित तौर पर, उसी दिन, प्रतिवादी द्वारा एक वचन पत्र/प्रॉमिसरी नोट निष्पादित किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि वह अपीलकर्ता की उसके जीवन के अंत तक देखभाल करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो अपीलकर्ता दान विलेख वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष इस वचन पत्र को मनगढ़ंत बताया है।

4. इसके बाद, 24.12.2020 को, अपीलकर्ता ने उप-खंड मजिस्ट्रेट, छतरपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 22 और 23 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उस पर और उसके पति पर प्रतिवादी द्वारा संपत्ति के आगे हस्तांतरण के लिए हमला किया गया था और पक्षों के बीच प्यार और स्नेह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उसने संबंधित दान विलेख को रद्द करने की प्रार्थना की। यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया, और अपीलकर्ता की संपत्ति प्रतिवादी को हस्तांतरित करने वाले दान विलेख को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया गया। प्रतिवादियों ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे दिनांक 25.04.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

5. पीड़ित प्रतिवादियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका संख्या 11796/2022 दायर की। एकल न्यायाधीश ने निचली अदालतों के आदेशों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिवादियों ने न्यायालय में साफ-सुथरे तरीके से आवेदन नहीं किया है और अपने माता-पिता, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, की सेवा करने में विफल रहे हैं। निचली अदालतों के आदेशों को उचित और अधिनियम के अनुरूप माना गया।

6. इसके बाद एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट अपील पेश की गई, जिसे उक्त आदेश के तहत स्वीकार कर लिया गया है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हुए, निम्नलिखित अवलोकन किया :-

6.1 अधिनियम की धारा 23 एक स्वतंत्र प्रावधान है, और अधिकरण का कार्य केवल यह पता लगाना है कि दान विलेख में या अन्यथा शर्त में बुनियादी सुविधाओं के लिए कोई खंड शामिल है या नहीं और क्या अंतरिती ने उन्हें प्रदान करने से इनकार कर दिया है या विफल रहा है। अधिकरण के पास कोई अन्य अधिकार क्षेत्र नहीं है।

6.2 दिनांक 09.09.2019 के दान -विलेख में हस्तान्तरणकर्ता के भरण-पोषण के लिए कोई शर्त नहीं है।

6.3 दिनांक 07.09.2019 के हलफनामे से संबंधित तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि पक्षों की मंशा ऐसी थी, तो दान -विलेख में भी इसी आशय का एक खंड होना चाहिए था।

विचारणीय बिंदु

7. हमने अपीलकर्ता की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी. मोहना और प्रतिवादियों की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माधवी दीवान को सुना है। हमने दोनों पक्षों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया है। इस न्यायालय के विचारार्थ जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 23 का लाभ प्रदान करने वाले अधिकरण के आदेश को निरस्त करके सही किया था?

8. इस विवादक का उत्तर देने के लिए, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिनियम के समान लाभकारी कानून की व्याख्या करते समय लागू किए जाने वाले व्याख्या के नियमों पर चर्चा करे। मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **ब्रह्मपाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी¹** में अवलोकन किया कि एक लाभकारी कानून को संबंधित अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप उद्देश्य आधारित निर्वचन करना चाहिए।

9. इस न्यायालय ने **के.एच.नजर बनाम मैथ्यू के.जैकब²** मामले में उपरोक्त प्रतिपादन कर को दोहराया और कहा कि:

"11. लाभकारी कानून के प्रावधानों को उद्देश्य-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ समझा जाना चाहिए। **[केरल फिशरमेन वेलफेयर फण्ड बोर्ड बनाम फैसी फूड (1995) 4 एस.सी.सी 341]** अधिनियम को इसके उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए एक उदार निर्वचन प्राप्त करना चाहिए। **[बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां**

बनाम ईएसआई कॉर्पोरेशन (2009) 9 एससीसी 61: (2009) 2 एस.सी.सी (एल एंड एस) 573 और भारत संघ बनाम प्रभाकरन विजय कुमार (2008) 9 एस.सी.सी 527 :(2008) 3 एस.सी.सी (सीआरआई) 813] इसके अतिरिक्त , एक लाभकारी कानून के प्रावधानों के शाब्दिक अर्थान्वयन से बचना होगा। कानून बनाने में विधायिका की मंशा को समझना न्यायालय का कर्तव्य है। एक बार जब ऐसी मंशा का पता चल जाता है, तो कानून को एक उद्देश्यपूर्ण या कार्यात्मक व्याख्या मिलनी चाहिए **[भारत सिंह बनाम नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर (1986) 2 एस.सी.सी 614: 1986 एस.सी.सी (एल एंड एस) 335]**

13. किसी कानून की निर्वचन करते समय, सबसे पहले उस समस्या या रिश्ते की पहचान की जानी चाहिए जिसे दूर करने के लिए कानून बनाया गया था, और **फिर एक ऐसा अर्थान्वयन अपनाया जाना चाहिए जो समस्या को दबा दे और उपाय को आगे बढ़ाए। [इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड बनाम संजय दलिया (2015) 10 एससीसी 161: (2016) 1 एससीसी (सिविल) 55]** यह स्थापित कानून है कि लाभकारी या सामाजिक कल्याण विधानों में छूट के खंडों को सख्त निर्माण दिया जाना चाहिए **[शिवराम ए शिरूर बनाम राधाबाई शांतराम कौशिक (1984) 1 एससीसी 588]**। शिवराम ए. शिरूर बनाम राधाबाई शांतराम कौशिक **[शिवराम ए. शिरूर बनाम राधाबाई शांतराम कौशिक (1984) 1 एससीसी 588]** में यह देखा गया कि लाभकारी कानून में बहिष्करण प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि कानून के मुख्य उद्देश्य को व्यापक आयाम दिया जा सके और भ्रामक आधारों पर इसके उल्लंघन को रोका जा सके। इसी तरह, क्राउन लैंड्स एक्ट को प्रशासित करने वाले मंत्री बनाम एनएसडब्ल्यू आदिवासी भूमि परिषद **[क्राउन लैंड्स एक्ट को प्रशासित करने वाले मंत्री बनाम एनएसडब्ल्यू आदिवासी भूमि परिषद, 2008 एचसीए 48: (2008) 237 सीएलआर 285]** में, किर्बी, जे. ने माना कि लाभकारी कानूनों को उद्देश्यपूर्ण निर्माण प्रदान करने का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि ऐसे कानूनों में अपवादों की संकीर्ण रूप से व्याख्या की जानी चाहिए।"

10. हाल ही में, **कोजीफ़ेक्स मैट्रेसेस (पी) लिमिटेड बनाम एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**³ मामले में, इस न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता की परिभाषा में अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी या कॉर्पोरेट व्यक्ति को भी शामिल किया है।

11. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी एक्ट के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **X2 बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)**⁴ में दोहराया कि लाभकारी कानून के प्रावधानों की व्याख्या विधायी उद्देश्य को ध्यान

में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण निर्माण के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, यह कहा गया कि लाभकारी कानून की व्याख्या लाभार्थियों के पक्ष में की जानी चाहिए जब दो दृष्टिकोण अपनाना संभव हो।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में हमें अधिनियम की परीक्षण करनी चाहिए। अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का कथन अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को इंगित करता है, जैसा कि इस न्यायालय ने एस. वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर, बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट और अन्य⁵, में भरोसा किया है:

"भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंड और मूल्य बुजुर्गों की देखभाल करने पर जोर देते हैं। हालांकि, संयुक्त परिवार प्रणाली के खत्म होने के कारण, बड़ी संख्या में बुजुर्गों की देखभाल उनके परिवार द्वारा नहीं की जा रही है। नतीजतन, कई बुजुर्ग व्यक्ति, विशेष रूप से विधवा महिलाएं अब अपने जीवन के अंतिम वर्ष अकेले बिताने के लिए मजबूर हैं और भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से जूझ रही हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बुढ़ापा एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है और बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी दोनों है। इसलिए, माता-पिता के लिए भरण-पोषण का दावा करने के लिए सरल, सस्ते और त्वरित प्रावधानों की आवश्यकता है।"

13. अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए संविधान के तहत आश्वस्त और मान्यता प्राप्त अधिक प्रभावी प्रावधान करना है।

14. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है। इसी पृष्ठभूमि में अधिनियम की व्याख्या की जानी चाहिए और अधिनियम के उपचारों को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए।

15. अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने से पहले, हमें इस मामले में प्रस्तुत वृहद् मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए, अर्थात् हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल। विजय मनोहर अर्बत डॉ. बनाम काशीराव राजाराम सवाई और अन्य⁶ में इस न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब माता-पिता ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो बेटे और बेटियों दोनों का सामाजिक दायित्व है कि वे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें।

16. बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य⁷ में, इस न्यायालय ने अवलोकन किया कि जब माता-पिता या पत्नी के भरण-पोषण से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा हो, तो न्यायालय प्रस्तावना में निहित संवैधानिक दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए, ऐसे हाशिए पर पड़े समूहों के सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य है। हाल ही में, यह व्याख्या रजनेश बनाम नेहा और अन्य⁸ में दोहराई गई।

17. अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ⁹ मामले में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनेक निर्देश जारी करते हुए इस न्यायालय ने रेखांकित किया था:

"3. वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार एक ऐसी उभरती हुई स्थिति है, जिसका हमारे संविधान निर्माताओं ने संभवतः पूर्ण पूर्वानुमान नहीं लगाया था। इसलिए, जबकि संविधान के अनुच्छेद 39 में श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल आयु का उल्लेख है, तथा संविधान के अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता का उल्लेख है, वहीं वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य या अभाव के समय उनके आश्रय तथा वास्तव में उनकी आयु के कारण उनकी गरिमा और भरण-पोषण का कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

4. अंततः उम्र हर किसी को जकड़ लेती है और कई बार यह कुछ लोगों को पूरी तरह से असहाय बना देती है। यह कुछ लोगों को पूरी तरह से असहाय और दूसरों पर निर्भर बना देता है, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या दोनों। सौभाग्य से, हमारा संविधान जैविक है और यह न्यायालय दूरदर्शी है। इस संयोजन के परिणामस्वरूप कानून में पथ-प्रदर्शक विकास हुआ है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, जिसे पिछले कुछ वर्षों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में अत्यधिक महत्व और सार्थकता दी गई है। वर्तमान याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक ऐसा अवसर है, जिसमें वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है और उन्हें लागू किया गया है- वे अधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिन्हें इस न्यायालय ने कई दशकों की अवधि में कई निर्णयों में समझा और व्याख्या किया है, और वे अधिकार जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में उभरती स्थितियों के कारण मान्यता मिली है।"

(जोर दिया गया)

18. कानून और उपरोक्त व्याख्याओं के लाभकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हम अब इस बिंदु पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

19. अधिनियम की धारा 23 में कहा गया है:

23. कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होगा -

(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, दान के रूप में या अन्यथा अपनी संपत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए अंतरित की है कि अंतरिती अंतरक को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इनकार करता है या असफल रहता है, वहां संपत्ति का उक्त अंतरण धोखाधड़ी या बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव के तहत किया गया माना जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका कोई भाग अंतरित कर दिया जाता है, वहां भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरिती के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकेगा, यदि अंतरिती को अधिकार की सूचना हो, या यदि अंतरण निःशुल्क हो; किन्तु प्रतिफल के लिए और अधिकार की सूचना के बिना अंतरिती के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और (2) के अधीन अधिकारों को लागू करने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकेगी।

20. सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी एवं अन्य¹⁰, में इस न्यायालय ने धारा 23 का लाभ देने से इस आधार पर इंकार कर दिया था कि प्रश्नगत अंतरण माता-पिता के भरण-पोषण की शर्त के अधीन था। यह अवलोकन किया गया:

"14. जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को दान या मुक्ति या अन्यथा अपने निकट और प्रियजनों के पक्ष में निष्पादित करके छोड़ता है, तो वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करने की शर्त आवश्यक रूप से इसके साथ जुड़ी नहीं होती है। इसके विपरीत, बहुत बार, ऐसे हस्तांतरण बिना किसी बदले की उम्मीद के प्यार और स्नेह से किए जाते हैं। इसलिए, जब यह आरोप लगाया जाता है कि धारा 23 की उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्तें किसी अंतरण से जुड़ी हैं, तो ऐसी शर्तों का अस्तित्व अधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया)

21. इसके अतिरिक्त, सुदेश (उपरोक्त) में धारा 23(1) के आवेदन को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित आवश्यक व्याख्या की गई थी:

(क) अंतरण इस शर्त के अधीन किया जाना चाहिए कि अन्तरिति , अंतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा; तथा

(ख) अन्तरिति अंतरणकर्ता को ऐसी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करता है या असफल रहता है।

22. मौजूदा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि अभिलेख पर दो दस्तावेज हैं। पहला, 07.09.2019 का वचन पत्र जिसमें यह दर्ज है कि वचनदाता (प्रतिवादी) अपीलकर्ता और उसके पति की उनके जीवन के अंत तक सेवा करेगा, और इस दायित्व को पूर्ण न करने की स्थिति में, अपीलकर्ता द्वारा बाद के कार्य को वापस लिया जा सकता है। दूसरा, 07.09.2019 के दान विलेख में भी ऐसी ही शर्त दर्ज है, यानी दानग्रहीता दाता का भरण-पोषण करता है, और पूर्व में अपीलकर्ता- दाता के शांतिपूर्ण जीवन के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों दस्तावेजों पर एक साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

23. अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि इस तरह का वचन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, और धारा 23 के तहत उसकी याचिका में यह कहा गया है कि पक्षों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों में दरार आ गई है। ऐसी स्थिति में, सुदेश (उपरोक्त) में उल्लिखित दो शर्तों की उचित व्याख्या की जानी चाहिए ताकि कानून की लाभकारी प्रकृति को आगे बढ़ाया जा सके, न कि सख्ती से, जो विधायिका के इरादे को निष्क्रिय, कर देगा। इसलिए, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और नीचे के अधिकरणों ने दान विलेख को निरस्त करने का सही फैसला सुनाया था क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण के लिए शर्तों का पालन नहीं किया गया था। हम युगल पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह लाभकारी कानून के बारे में सख्त दृष्टिकोण रखता है।

24. इस मामले से अलग होने से पहले, हमें अधिकरण की संपत्ति का कब्जा सौंपने की योग्यता के बारे में आक्षेपित आदेश के तहत की गई अवलोकन को स्पष्ट करना चाहिए। एस. वनिता (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अवलोकित किया कि अधिनियम के तहत अधिकरण वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और समीचीन होने पर बेदखली का आदेश दे सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत गठित अधिकरण धारा 23 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, कब्जा अंतरित करने का आदेश नहीं दे सकता। यह अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन को विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के लिए त्वरित, सरल और सस्ते उपचार प्रदान करना है।

25. उच्च न्यायालय की एक और अवलोकन जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए, वह यह है कि धारा 23 अधिनियम का एक स्वतंत्र प्रावधान है। हमारे विचार से, धारा 23 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली राहत अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है, कि हमारे देश के बुजुर्ग नागरिकों की, कुछ मामलों में, देखभाल नहीं की जा रही है। यह सीधे तौर पर अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है और वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति अंतरित करते समय अपने अधिकारों को तुरंत सुरक्षित करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि अंतरिती व्यक्ति द्वारा रखरखाव किया जाए।

26. उपरोक्त के मद्देनजर, इस निर्णय के पैराग्राफ एक में वर्णित विवरणों के साथ आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 07.09.2019 का दान विलेख अपास्त किया जाता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपील को स्वीकार किया जाता है। अपीलकर्ता को परिसर का कब्जा 28.02.2025 तक वापस कर दिया जाएगा।

27. रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय को मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित अधिकारियों को सूचित करे, जो इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो निराकृत माने जाएंगे

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

ज्योति शर्मा द्वारा अनुवादित

- 1 [2020] 9 SCR 504 : (2021) 6 SCC 512
- 2 [2019] 14 SCR 928 : (2020) 14 SCC 126
- 3 (2024) 7 SCC 140
- 4 [2022] 7 SCR 686 : (2023) 9 SCC 433
- 5 [2020] 12 SCR 1057 : (2021) 15 SCC 730
- 6 [1987] 2 SCR 331 : (1987) 2 SCC 278
- 7 [2013] 10 SCR 259 : (2014) 1 SCC 188
- 8 [2020] 13 SCR 1093 : (2021) 2 SCC 324
- 9 [2019] 12 SCR 30 : (2019) 2 SCC 636
- 10 [2022] 17 SCR 876 : 2022 SCC Online SC 1684